



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2012/भाद्र 21, 1934

No. 450]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2012/BHADRA 21, 1934

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 681(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र सीमा बल नियम, 2009 के नियम 41 से संबंधित गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 560(अ), तारीख 31-7-2009 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

सशस्त्र सीमा बल नियम, 2009 के नियम 41 के उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा,—

“परंतु निलंबन के आदेश का, निलंबन की प्रभावी तारीख से नब्बे दिन के समाप्त होने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश को उपांतरित या प्रतिसंहत करने के लिए पुनर्विलोकन किया जाएगा। पश्चात्पूर्ती पुनर्विलोकन निलंबन की विस्तारित अवधि के समाप्त होने से पहले किया जाएगा। निलंबन का विस्तारण एक बार में 180 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जाएगा”।

[फा. सं. 13/जेएजी/एफसी/ससीब/नियम(41)-एएमएमडीटी]

डॉ. एन.एस. कल्सी, संयुक्त सचिव (पुलिस-II)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 560(अ), तारीख 31-7-2009 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2012

G.S.R. 681(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 155 of Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Home Affairs, G.S.R. No. 560 (E) dated, 31-7-2009, relating to rule 41 of the Sash astra Seema Bal Rules, 2009, namely:—

In Sashastra Seema Bal Rules, 2009, after sub-rule (4) of rule 41, the following proviso shall be inserted-

“Provided that the order of suspension shall be reviewed by the authority competent to modify or revoke the order before expiry of ninety days from the effective date of suspension. Subsequent review shall be made before the expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding 180 days at a time.”

[F. No. 13/JAG/FC/SSB/Rule(41)-AMMDT]

Dr. N.S. KALSI, Jt. Secy.(Police-II)

Note : The Principal rules were published in Gazette of India vide number G. S. R 560(E), dated 31-7-2009.

